

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय, जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी जिला दमोह

एम् पी ऑनलाइन कियोस्क एवं सीएससी के रजिस्ट्रेशन के लिए सूचना

भारत शासन की कॉमन सर्विस सेण्टर परियोजना सीएससी 2.0 एवं पूर्व में कार्यरत सीएससी जो अन्य एजेंसी के माध्यम से एम् पी ऑनलाइन की सेवायें दे रहे थे उनके सीधे एम् पी ऑनलाइन पोर्टल (www.mponline.gov.in) एवं सीएससी एसपीव्ही पोर्टल (csc.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

वे सभी सीएससी जो पूर्व में किसी सर्विस सेण्टर एजेंसी (यथा एनआईसीटी, आईसेक्ट, सीएमएस तथा रिलायंस) के माध्यम से एम् पी ऑनलाइन में रजिस्टर्ड एवं कार्यरत हैं व उन्हें अब राज्य शासन के निर्देशानुसार सीधे एम् पी ऑनलाइन व डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी (डीईजीएस) के साथ त्रिपक्षीय अनुबंध करना होगा।

जो सी एस सी पहले ही एम् पी ऑनलाइन कियोस्क के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध कर चुके हैं उन्हें दुबारा आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा जो सी एस सी पहले ही (csc.gov.in) पर रजिस्टर्ड हैं उन्हें भी दुबारा आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी।

जो आवेदक नए एम् पी ऑनलाइन कियोस्क के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। इसमें भी जो आवेदक पूर्व में नए एम् पी ऑनलाइन कियोस्क के लिए आवेदन कर चुके हैं उन्हें दुबारा आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी।

आवेदन ऑनलाइन एम् पी ऑनलाइन पोर्टल पर किया जा सकेगा। एम् पी ऑनलाइन पोर्टल पर उन सभी कियोस्क की सूची प्रदर्शित की जायेगी जो वर्तमान में रजिस्टर्ड हैं या जिन्हें कियोस्क आवंटित किया जा चुका है। इस सूची से नए आवेदकों को अपने लिए कियोस्क का स्थान चुनने में सुविधा होगी।

त्रिपक्षीय अनुबंध का प्रारूप एवं प्रक्रिया एम् पी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। csc.gov.in पर रजिस्टर करने के लिए अनुबंध की आवश्यकता नहीं होगी। एम् पी ऑनलाइन पोर्टल (www.mponline.gov.in) एवं सी एस सी एस पी व्ही पोर्टल (csc.gov.in) दोनों की सेवायें देने वाले कियोस्कों को को-ब्रांडिंग के दिशा निर्देशों के अनुसार डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा जिसके लिए स्टैण्डर्ड डिजाइन उपलब्ध की जायेगी एवं अलग से भुगतान किया जाएगा।

पुराने सी एस सी के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध के लिए आवेदन 21 जुलाई तक स्वीकार किये जायेंगे। नए कियोस्क के लिए आवेदन प्रक्रिया सतत जारी रहेगी।